

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि0 :  
सोन भवन: वीर चन्द पटेल पथ पटना: 800001।

कार्यालय आदेश

राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय पटना का ज्ञापांक 7339 दिनांक 24.11.01 के अनुसार निगम द्वारा किये जा रहे सभी प्रकार के ब्यापारों में दिनांक 24.11.01 के प्रभाव से किसी प्रकार की क्षति मान्य नहीं है। निगम के गोदामों में यदि किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसके मूल्य की वसूली खाद्यान्न के सामान्य जन वितरण प्रणाली के तहत निगम से निर्गत मूल्य पर गणना करके संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक से की जाती है।

निगम के गोदामों में जिस किसी भी खाद्यान्न का उठाव कर भण्डारण एवं निर्गत किया जाता है, वे सभी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनामद के तहत आवंटित खाद्यान्न होते हैं। ऐसे में यदि किसी योजनामद के खाद्यान्न में क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार से कमी होती है, तो इसकी भरपाई अपने संसाधन से खाद्यान्न का क्रय कर करने हेतु निगम को विवश होना पड़ता है, तथा इसके लिये निगम को अपने संसाधन से भारतीय खाद्य निगम से उनके आर्थिक दरों पर खाद्यान्न का क्रय करने की वाध्यता होती है।

अतः विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि निगम के गोदामों में दिनांक 01.4.09 के प्रभाव से यदि किसी भी प्रकार के खाद्यान्न में क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार से कोई कमी पायी जाती है, तो उसकी वसूली संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक से भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का निर्धारित आर्थिक दर पर की जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहली अप्रील को प्रभावी आर्थिक दर राज्य खाद्य निगम में क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार से हुई कमी की वसूली हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष के लिये प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त खाद्यान्न का आर्थिक दर पर वसूलनीय मूल्य पर निगम द्वारा निर्धारित ब्याज की भी वसूली संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक से पूर्व प्रतिपादित नियमों के आलोक में की जायेगी। वसूली का उक्त सिद्धान्त निगम के परिवहन-सह-हथालन अभिकर्त्ताओं द्वारा खाद्यान्न परिवहन के दौरान की गई क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार की कमी के लिये भी लागु माना जायेगा।

प्रबंध निदेशक।  
3.11.09

ज्ञापांक-6:01:2:1:05- 9442

दिनांक-31/11/09

प्रतिलिपि सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार एवं झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।  
3.11.09

ज्ञापांक-6:01:2:1:05- 9442

दिनांक-31/11/09

प्रतिलिपि सभी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/सभी डेस्क पदाधिकारी/निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार एवं झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।  
3.11.09

(215)

Attention to Shri J. P. Jha Dy.C. (b.71)

THE FOOD CORPORATION OF INDIA  
HEADQUARTERS :: NEW DELHI

STK-21/(4)/RL/SL/03-04

Dated: 10<sup>th</sup> Feb. 2004

REGULAR. No 112004

During the course of audit of the Corporation's account pertaining to North Zone for the year 2001-2002 the C&AG observed that there is no uniformity in the field offices regarding rate of recovery from the employees on account of misappropriation of stocks.

The matter was examined in the Accounts Division of Headquarters and it has been decided with the approval of the Managing Director that the appropriate rate of recovery shall be "Economic Cost" which includes the elements of procurement incidentals, handling cost, storage and interest charges.

It is therefore, requested that recovery towards the cost of misappropriation of stocks by the employees of the Corporation may be made accordingly in future.

These instructions shall be brought to the notice of all the concerned for strict compliance.

*(Signature)*  
( K.C. SHARMA ) 10/2/04  
MANAGER(STOCKS)

- To:-
- I) All Zonal Managers
  - II) All Eds, FCI, Headquarters, New Delhi.
  - 2) All Sr. Regional Managers. Ranchi (Jharkhand)
  - 3) Manager (Vig.), FCI : Headquarters : New Delhi.
  - 3) Manager(A/cs) / (IA) FCI, Headquarters , New Delhi.

*Handwritten notes on the left margin:*  
 21/10/04  
 21/10/04  
 that are  
 we doing P  
 21(V) 16/02  
 Legend R.  
 18/1/04



